छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65

मांग संख्या – 47, 44, 46, 43 एवं

मांग संख्या – 11 से संबंधित

भाग -चार

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	**श्री भूपेश बघेल**	1	सामान्य प्रशासन	3 घंटे
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
		65	विमानन विभाग	
2.	**श्री उमेश पटेल**	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	2 घंटे 30 मिनट
		44	उच्च शिक्षा	
		46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	
		43	खेल और युवक कल्याण	
3.	**श्री कवासी लखमा**	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	3 घंटे

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2021 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021–2022 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – चार में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
8. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
11. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
12. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
13. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
14. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
15. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

मांग संख्या– 1

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि — रूपये 3,18,42,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –1

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) समयमान वेतनमान का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) आउट सोर्सिंग बंद करने का उल्लेख नहीं है।

(4) शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान का प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू करने का उल्लेख है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय कर्मचारियों के क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) घर पहुंच सरकारी सेवा की कार्ययोजना का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) लोकपाल में मुख्यमंत्री व मंत्रीगणों को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

(4) लोक सेवा आयोग की गड़बड़ियों को सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) चार स्तरीय वेतनमान का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रशिक्षण पर पर्याप्त व्यय का उल्लेख नहीं है।

5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ता का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों का नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

(2) संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय सेवकों को उत्कृष्ट कार्य के लिये सम्मानित करने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जिला मुख्यालय में शासकीय सेवकों हेतु पर्याप्त आवास सुविधा का उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अनियमित, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के शासकीय सेवकों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में बड़े–बड़े पदों पर संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को रखे जाने के कारण युवाओं का हक मारा जा रहा है, संविदा प्रणाली समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

(4) कलेक्टर दर पर लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) दैनिक वेतन पर लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) शासकीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की सीमा कम कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 2

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि **रूपये 4,26,24,66,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 1

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) समयमान वेतनमान के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) शासकीय सेवकों हेतु आवास सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 67,24,91,42,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 4

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   सकल वित्तीय घाटा कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) चिटफंड पीड़ितों को पैसा वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) सातवें वेतनमान की राशि भुगतान करने का प्रावधान नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) किसानों के दीर्घकालीन ऋण माफी का उल्लेख नहीं है।

   (2) किसानों का पूर्ण कर्ज माफी का कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) सकल वित्तीय घाटा रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) राज्य योजना आयोग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पामगढ़ विकासखण्ड में उप कोषालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 60
जिला परियोजनाओं से संबधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 1,04,65,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला योजना का सुदृढ़ीकरण के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों हेतु कॉलेज, स्कूल में पढ़ने के दौरान हॉस्टल, ट्रांजिट हॉस्टल का उपयोग किया जा सके योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) रायपुर कलेक्ट्रेट में स्टेशनरी टेंडर में अनियमितता किये जाने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या –12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 25,69,48,21,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –13

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम बदरा में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा बिल्हा के किसानों को पम्प कनेक्शन दिये जाने बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत दरोगी में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम–सिलतरा में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(5) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम–मुन्दादेवरी में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों को लो–वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(7) बिजली पारेषण में क्षय रोकने हेतु कोई कारगार उपायों का उल्लेख नहीं है।

(8) किसानों को निरंतर कटौती रहित बिजली आपूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।

(9) बिजली देयक को पूर्ण आधा करने का उल्लेख नहीं है।

(10) विद्युत उत्पादन बढ़ोत्तरी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(11) पंप कनेक्शनों को निःशुल्क बिजली प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राजनांदगांव जिले में समस्त औपचारिकता पूर्ण ट्यूबवेल के लंबित आवेदनों के ऊर्जीकरण हेतु चर्चा का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) दुकानदारों व व्यापारियों के लिए विद्युत दर कम करने का उल्लेख नहीं है।

(2) कृषि हेतु किसानों को स्थायी विद्युत कनेक्शन देने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विद्युत परियोजना पर पूंजी परिव्यय हेतु अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) विद्युत कंपनियों की सहायता हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मुंगेली विधानसभा के ग्राम अमोरा चकरभाठा, पैडर भाठा में 33/11 के.व्ही. स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विद्युत विहीन मजरा, टोला में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारण का उल्लेख नहीं है।

(2) सिंचाई हेतु 5 हार्स पावर तक मुफ्त बिजली देने का उल्लेख नहीं है।

(3) भाटापारा विधानसभा में 33/11 के.व्ही. के नये सब स्टेशन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाईटों को लगाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) किसानों के टी.सी. कनेक्शन को परमानेंट करने का उल्लेख नहीं है।

(6) विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) बिजली बिल में सभी उपभोक्ताओं का बिल आधा करने का उल्लेख नहीं है।

(8) भाटापारा विकासखण्ड में एक भी नवीन सब स्टेशन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) 40 यूनिट तक ही बिल माफी की गयी जबकि सभी का आधा बिजली बिल माफ करना था, का उल्लेख नहीं है।

(10) बिजली चोरी को रोकने में विभाग का कोई प्रावधान नहीं है।

(11) पंप कनेक्शन हेतु छूट को बढ़ाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(12) लो–वोल्टेज की समस्या को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) गरीबी रेखा वालों एल.ई.डी बल्ब वितरण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) कृषि पंप हेतु पर्याप्त मात्रा में स्थायी कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दोनर में विद्युत सब स्टेशन खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उच्चदाब ग्राम–अर्जुनी में सब स्टेशन खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदा बाजार विधानसभा के गांव एवं कस्बों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

किसानों को विद्युत पंप कनेक्शन देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 4,86,64,93,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –12

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश में रेत माफिया द्वारा किये जा रहे अवैध खनन कारोबार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
   (2) खनिज पट्टे स्थानीय निवासी को देकर रोजगार देने का प्रावधान नहीं है।
   (3) अरपा नदी में अवैध उत्खनन का उल्लेख नहीं है ।
   (4) रेत माफियाओं से मंहगी दर में रेत खरीदने पर नियंत्रण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) कोयला माफिया से मुक्ति की योजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) रेत माफियाओं से मुक्ति की योजना का प्रावधान नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) खनिज अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (3) खनिज अन्वेषण और विकास के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (4) खानों को विनियमन और विकास के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।
   (5) ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज के लिये पर्याप्त व्यय राशि का उल्लेख नहीं है।
   (6) गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) अवैध रेत परिवहन की गंभीर समस्या का उल्लेख नहीं है।
   (2) सोना, हीरा आदि कीमती धातुओं के अवैध उत्खनन को रोकने का उल्लेख नहीं है।
   (3) खनिज न्यास निधि की राशि का दुरूपयोग होने से बचाने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु विशेष कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 2,34,23,20,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –24

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) विभागों की योजनाओं के प्रचार–प्रसार का उल्लेख नहीं है।
   (2) संचार क्रांति योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (3) अन्य संचार सेवाओं पर पर्याप्त परिव्यय राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) संचार क्रांति हेतु तीव्रता लाने आमजन पहुंचाने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) दूरस्थ इलाकों में प्रचार–प्रसार करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
   (3) समाचार पत्रों की विश्वसनीयता जांच हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
   (4) जनसंपर्क विभाग द्वारा गलत फर्जी समाचारों को रोकने हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मतदेय राशि रूपये 1,85,11,26,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –35

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पर्याप्त बजट आबंटन का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 65

विमानन विभाग

मतदेय राशि | रूपये 58,47,91,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 44

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) जशपुर जिला में विमानन सेवा शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) रायगढ़ में हवाई सेवा करने का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   हवाई एम्बुलेंस सेवा का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) विमानन संचालन के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) नगर विमानन पर पूंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश के छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
   (2) रायपुर में टर्मिनल बढ़ाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मतदेय राशि रूपये 3,72,61,80,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 42

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मांग अनुसार रोजगार न होने पर नियमनुसार भत्ता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) प्रदेश के बेरोजगारों को उद्योग में रोजगार देने का कोई प्रावधन नहीं है।

   (3) बिलासपुर क्षेत्र के निजी उद्योगों/प्लांटो में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) रोजगार आयोग का उल्लेख नहीं है।

   (2) निःशुल्क तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

   (3) कौशल उन्नयन के तहत प्रशिक्षितों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार देने किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

   (5) अनियमित संविदा, दैनिक वेतन भोगी व कान्ट्रेक्ट दर पर कार्य कर रहे श्रमिकों को नियमतिकरण का उल्लेख नहीं है।

   (6) बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

   (7) घर–घर रोजगार, हर घर रोजगार का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) नगर पंचायत कुरूद जिला–धमतरी में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (3) ग्रामीण रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

   (4) स्व रोजगार कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

   (5) पॉलीटेक्निक कॉलेजों हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (6) स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

   (7) सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली विधानसभा में बेरोजगारों के कल्याण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेरोजगारों को 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

(2) युवा बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा में शुल्क माफी का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेनु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

(2) युवाओं में बेरोजगारी की गंभीर समस्या का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चांपा विधानसभा के नवागढ़ विकासखण्ड मुख्यालय में आई.टी.आई. प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री केशव प्रसार चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी विधानसभा अंतर्गत पॉलीटेक्निक रूद्री कॉलेज को अपग्रेड कर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत आमदी के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) धमतरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रांवा में आई.टी.आई. खोलने का (शिक्षा हेतु) उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश के पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रहने हेतु नये हॉस्टल खोले जाने के लिए बजट में उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के युवाओं को शीघ्र रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के बेरोजगारों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश के युवाओं को स्व रोजगार उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदा बाजार विधानसभा में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा में सात सीमेंट संयंत्र होते हुए भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 44

उच्च शिक्षा

मतदेय राशि **रूपये 8,07,74,05,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 38

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगर पंचायत बोहरी में नया कॉलेज खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) बिल्हा में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधन नहीं है।

   (3) ग्राम बरतोरी में महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   शारीरीक महाविद्यालय स्थापना का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभिमान हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) अति विशिष्ट उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मुंगेली विधानसभा के ग्राम जरहागांव में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   शासकीय महाविद्यालय, पेण्ड्रा में छात्र व छात्राओं हेतु नवीन छात्रावास के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) स्मार्ट क्लास रूम और ई–क्लास रूम बनाने कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) कॉलेजों में वाई–फाई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

   (3) सिमगा महाविद्यालय में खेल मैदान और बांउड्रीवाल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

   (4) भाटापारा महाविद्यालय में विषय बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्राम–कुण्डा तहसील–पंडरिया जिला–कबीरधाम में नया महाविद्यालय स्वीकृत करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर के ग्राम भोथिया में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर के ग्राम बम्हनीडीह में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर के ग्राम कुरदा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर के ग्राम छपोरा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर के ग्राम नरयिरा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड के नरियरा में नवीन महाविद्यालय का उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदा बाजार विधानसभा के महाविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम खोलने हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा के कोहका कॉलेज में एम.एस.सी. कोर्स बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधानसभा के शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय (बायोलॉजी, गणित) खोलने का उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत ससहा में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) नवागढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सलखन में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुलमुला में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) पामगढ़ में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(5) नवागढ़ विकासखण्ड की ग्राम–पंचायत मिसदा में नवीन महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 46

विज्ञान और टेक्नालॉजी

मतदेय राशि **रूपये** 26,55,00,,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 41

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) सांईस सिटी की स्थापना हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाविद्यालयीन बच्चों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) जनउपयोगी कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) बायोडीजल उत्पादन और उपयोग हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 43

खेल और युवक कल्याण

मतदेय राशि रूपये 72,33,55,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 09

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) रायपुर में ड्रग के शिकार हो रहे युवा वर्ग को रोकने के लिए उपायों का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम सांवा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम दगोरी में मिनी स्टेडियम खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम बरतोरी में मिनी स्टेडियम खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम को पूर्ण करने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) भाठागांव रायपुर में स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता की योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रत्येक ब्लॉक में 100 बिस्तर खेल छात्रावास का उल्लेख नहीं है।

(4) जिला व ब्लॉकों को खेल कोष आबंटन की योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) खेलों के लिए महिला एवं पुरूष कोच भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(6) राज्य स्तर पर कोच नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) युवा शक्ति योजना हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु दिये गये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(3) खेल के मैदानों के रख–रखाव हेतु दिये गये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(4) स्टेडियम व खेल मैदान निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(5) खेल युवा सेवाएं और खेल स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(6) खेल और युवा कल्याण में खेलकूद हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(7) मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना हेतु राशि का कम है।

5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खेल एवं युवा कल्याण के लिए आंबटन की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर–चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पंचायत–लोरमी जिला–मुंगेली में सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–पंचायत गुजरा में मिनी स्टेडियम खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी विधानसभा में बहुसंख्यक आबादी क्षेत्र ग्राम–छाती में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत रांवा में मिनी स्टेडियम निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ओटगन विकासखण्ड तिल्दा में मिनी स्टेडियम बनाने हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के गांव अर्जुनी में युवाओं के खेलकूद के लिए मिनी स्टेडियम के बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका तिल्दा के खेल मैदान (हाई स्कूल नेवरा) का जीर्णोद्धार हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तरपोंगी में मिनी स्टेडियम बनाने हेतु बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खिलाड़ियों के खेल के विकास हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधानसभा के ग्राम पौसंरा में मिनी स्टेडियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 3,39,07,55,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 11

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) अधोसंरचना की मजबूती के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रत्येक जनपद मुख्यालय मे फूडपार्क बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
   (3) बिलासपुर जिले के उद्योगों एवं आद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए राशि का उल्लेख नहीं है।
   (4) लद्यु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।
   (5) कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   राजनांदगांव जिले में स्थापित बी.एन.सी. मिल को चालू करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश में फूडपार्क हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में 1 फूडपार्क निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।
   (3) रायपुर में आई.टी.पार्क स्थापना का उल्लेख नहीं है।
   (4) औद्योगिक क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज समाप्त करने कोई उल्लेख नहीं है।
   (5) प्रदेश के उद्योग विहीन जिले में औद्योगिकीकरण का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) लद्यु उद्योगों हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
   (2) वृहद एवं मध्यम उद्योग के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
   (3) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रत्येक विकासखंड में एक फूडपार्क खोलने हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) भाटापारा में कोई बड़ा उद्योग लगाने का उल्लेख नहीं है।
   (3) सिमगा विकासखंड में कोई वृहद उद्योग लगाने का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में संचालित उद्योगों में छत्तीसगढ़ के निवासियों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) बंद पड़े उद्योगों को अनुदान देने हेतु उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के बेरोजगार युवा वर्ग को रोजगार देने हेतु बड़े उद्योगों का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के उद्योगों में हो रहे दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों का उल्लेख नहीं है।

(8) बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सीमेंट उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम बक्सरा में औद्योगिक पार्क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के ग्राम कापन में औद्योगिक पार्क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फूडपार्क बनाने का उल्लेख नहीं है।